न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 11/2017 निगरानी

1. हरिनारायण पुत्र गोरधन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

निगरानीकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीछा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बीछा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. सचिव ग्राम पंचायत बीछा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

गैरनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 15.05.2017 ग्राम पंचायत बीछा जो कि निगरानीकार को जरिये नोटिस क्रमांक 67 पर भेजा गया है।

उपस्थिति : श्री कमलेश कुमार सैनी अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
: श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 व 2।

—: निर्णय :— दिनांकः 28.11.2017

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि निगरानीकार ग्राम बीलका तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा की आबादी भूमि खसरा नं0 83 में लगभग 40—50 वर्षो पूर्व से ही अपने बुजुर्गान के समय से ही रह रहा है। उक्त आबादी भूमि खसरा नं0 83 में निगरानीकार का 40 X 60 फिट भूमि पर छप्परपोश कच्चा घर बाडे आदि बने हुये है। उक्त भूखण्ड के पूर्व दिशा में कैलाश, बाबूलाल का मकान, पश्चिम दिशा में रोड व इसके पश्चात् ठाकुर जी का मन्दिर, उत्तर दिशा में रमेश, गोपाल का मकान एवं दक्षिण दिशा में शिवजी का मन्दिर है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी के लगभग 15 ट्राली पत्थर पूर्व से ही डले हुये है तथा निगरानीकार द्वारा उक्त पत्थरों से कच्चे घर को दुरूस्त कराया जाना प्रस्तावित है। आबादी भूमि में आने जाने के लिये कई रास्ते मौके पर मौजूद है परन्तु निगरानीकार को राजनैतिक रंजिश एवं ईर्ष्यालु लोगो द्वारा हैरान परेशान करने की गरज से उक्त भूखण्ड से जबरन बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास कर गैर निगरानीकार से मिलकर झूठी शिकायतो के आधार पर ग्राम पंचायत

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

बीछा के सरपंच द्वारा अविधिक नोटिस दिलवाये जा रहे है। इसी कडी में गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा निगरानीकार को एक नोटिस क्रमांक 67 दिनांक 15.05.2017 भिजवाया गया है जिसके विरूद्ध निगरानीकार द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगरानीकार वादग्रस्त भूखण्ड पर अरसा पूर्व से बजमाने बुर्जुगान से काबिज है जिसकी जानकारी आबादी में बसे हुये सभी वाशिंदो एवं गैरनिगरानीकार को भली प्रकार से रही है। निगरानीकार एवं ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच के मध्य राजनैतिक व चुनावी रंजिश होने के कारण निगरानीकार को उक्त नोटिस आबादी में बसे हुये कुछ व्यक्तियों के दबाव में आकर दिया गया है। नोटिस केवल सरपंच ग्राम पंचायत बीछा द्वारा दिया गया है जो अधिकृत नही है, जबकी नोटिस ग्राम सेवक द्वारा दिया जाना चाहिए। शिकायत प्राप्त होने पर वर्णित तथ्यो की जांच के बाद नोटिस दिया जा सकता है जबकि हमें सीधे ही निगरानीकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। निगरानीकार द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया गया है। नोटिस की आड में निगरानीकार को उक्त आबादी भूमि से भगाना चाहते है। कृपया निगरानी स्वीकार कर उक्त नोटिस क्रमांक 67 दिनांक 15.05.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता गैरनिगरानीकार सं0 1 व 2 द्वारा निवेदन किया कि निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत बीछा की आबादी भूमि पर पत्थर डालकर कब्जा करने की नीयत से अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विधिवत की जा रही है। सरपंच ग्राम पंचयात का मुख्या है। निगरानीकार को उक्त नोटिस जनहित में जारी किया गया है क्योकि आम रास्ते को बाधित किया हुआ है। इसी प्रकार के अन्य प्रकरण राजेन्द्र बनाम ग्राम पंचायत बीछा में निगरानीकार के स्थगन को 01.08.2017 को खारिज किया गया है तथा दिनांक 09.10.2017 को निर्णय भी पारित हो चुका है। बार–बार न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। प्रार्थना पत्र मौका कमिशनर को भी खारिज कर दिया गया है एवं स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुका है। उक्त सम्बन्ध में निगरानीकार द्वारा सिविल न्यायालय में भी दावा पेश किया हुआ है। किन्तु सिविल न्यायालय द्वारा भी निगरानीकार को स्थगन आदेश नही दिया गया है। अतः जनहित में निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि जो रास्ते के काम में आ रही है उक्त भूमि पर निगरानीकार द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटावाये जाने के आदेश फरमावे।

पुनःबहस में अधिवक्ता निगरानीकारकर्ता द्वारा निवेदन किया गया की मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। **Possession** तय नही करना है। स्थगन खारिज किया

अति0 जिला कलक्टर
टोंक

जाना गलत है। निगरानीकार को ग्राम पंचायत बीछा द्वारा दिया गया उक्त नोटिस निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बीछा द्वारा निगरानीकार को नोटिस क्रमांक 67 दिनांक 15.05.2017 बाबत् आम रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने हेतु जारी किया गया है। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा स्वयं की भूमि पर ही उसके मकान को दुरूस्त करने हेतु पत्थर डलवाया जाना व्यक्त करते हुये रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया जाना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत बीछा द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 67 दिनांक 15.05.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत बीछा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत आबादी भूमि खसरा नं0 83 में कथित अतिक्रमण के सन्दर्भ में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा आबादी भूमि का एवं निगरानीकार के स्वामित्व की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जावे। यदि रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया जावे तो अतिक्रमी को नोटिस दिया जाकर अतिक्रमण हटावाने हेतु ग्राम पंचायत स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बीछा पंचायत समिति लालसोट को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा
दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा
दौसा